

**बिहार सरकार**  
**सामान्य प्रशासन विभाग**  
**:: अधिसूचना ::**

पटना-15, दिनांक 10.02.2020

संख्या-7/स्था0-04-18/2019सा0प्र0.....2133...../30वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा (वि0सं0-06/2018) के परीक्षाफल के आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-8/वि0प्र0-04-05/2017 (90) लो0से0आ0/गो0 दिनांक 02.12.2019 द्वारा अनुशंसित निम्नलिखित सफल अभ्यर्थियों को बिहार न्यायिक सेवा (भर्ती) नियमावली-1955 के नियम-24 के तहत परीक्ष्यमान रूप में असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के पद पर रु0 27700-770-33090-920-40450-44700/- के वेतनमान में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य देय भत्तों के साथ अधोलिखित कंडिकाओं में निहित शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है:-


क्र.	अनुक्रमांक	नाम	मेधा क्रमांक	जन्म तिथि	लिंग	आयोग द्वारा आवंटित आरक्षण कोटि
1	2	3	4	5	6	7
1	106425	स्वयम् श्रीवास्तव	15	10.03.1991	पुरुष	01
2	121056	राहुल दत्ता	27	23.12.1989	पुरुष	01
3	101120	अनुभव रंजन	58	04.06.1991	पुरुष	05
4	100612	हर्षवर्द्धन सिंह	69	07.01.1990	पुरुष	01
5	119760	शालिनी शुक्ला	70	04.05.1991	महिला	01
6	101368	हिमशिखा मिश्रा	83	11.07.1990	महिला	01
7	122989	देवव्रत कुमार	89	11.02.1988	पुरुष	01
8	118307	शिखा शर्मा	115	02.08.1990	महिला	01
9	107290	उज्जमा कमर	133	31.10.1992	महिला	01
10	102494	मो. अरबाज़ अंसारी	134	02.07.1993	पुरुष	04
11	124824	आस्था भारती	140	12.02.1994	महिला	01
12	105592	गीतिका त्रिपाठी	153	27.06.1993	महिला	01
13	125394	अंकिता त्रिपाठी	159	05.04.1990	महिला	01
14	106403	अनीता कुमारी	173	12.01.1987	महिला	05
15	125106	शिवांगी प्रिया	193	02.09.1993	महिला	05
16	101094	भवेश कुमार	222	05.01.1994	पुरुष	05
17	113718	अर्चना कुमारी	227	20.08.1985	महिला	05
18	110548	तेजस्विनी जयसवाल	243	15.03.1992	महिला	05
19	124970	प्रणव कुमार	284	12.08.1994	पुरुष	04
20	103412	वैभव कुमार	302	22.02.1992	पुरुष	05
21	118026	भानु प्राताप	308	17.11.1994	पुरुष	02

22	109703	योगिता श्री	386	03.01.1993	महिला	04
23	120552	सौम्या शेखर	391	21.03.1993	महिला	05
24	108994	चंदन ठाकुर	406	05.12.1984	पुरुष	04
25	109389	स्निग्धा	441	23.01.1984	महिला	04
26	110223	संतोष कुमार	450	30.12.1994	पुरुष	04
27	124634	कृष्णा कुमार	451	22.02.1983	पुरुष	04
28	106918	उमा कुमारी	452	15.02.1990	महिला	04
29	123210	नीलम कुमारी	453	28.07.1983	महिला	04
30	122258	अंकित आनंद	474	11.05.1995	पुरुष	02
31	100423	निसित देव	478	02.12.1984	पुरुष	04
32	112349	रोहित अमृतांशु	488	07.07.1987	पुरुष	04
33	125572	मुकेश कुमार	491	19.03.1984	पुरुष	04
34	108595	मिथिलेश कुमार	492	07.01.1984	पुरुष	02
35	117490	प्रिया कुमारी	504	01.03.1986	महिला	04
36	116725	शाद रज़्ज़ाक	506	05.12.1987	पुरुष	04
37	107001	पंकज कुमार पंडित	513	01.03.1985	पुरुष	04
38	100771	प्रतीक शैल	519	28.03.1991	पुरुष	04
39	113207	अविचल ज्ञानेश	573	30.03.1985	पुरुष	04
40	100648	कुन्दन पासवान	614	10.04.1988	पुरुष	02
41	108876	सुमीता रंजन	621	20.12.1988	महिला	02

- यह नियुक्ति चरित्र एवं पूर्ववृत्त के संबंध में पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रही है। यदि किसी अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल होगा तो उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक विधिक कार्रवाई भी की जायेगी।
- भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण-पत्र/अभिलेखों के संबंध में गलत सूचना पाये जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक कार्रवाई भी की जायेगी।
- वित्त विभाग के संकल्प सं०-1964 दिनांक 31.08.2005 एवं 768 पे० को० दिनांक 03.07.2007 के अनुसार इन नियुक्त होने वाले न्यायिक पदाधिकारियों पर नई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
- बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्ती) (संशोधन) नियमावली, 2017 में बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्ती) नियमावली, 1955 के नियम 25(ख) में विभागीय अधिसूचना संख्या-7/स्था०-1-4-05/2011 सा०प्र० 3245 दिनांक 17.03.2017 द्वारा किये गये प्रावधान के अनुसार "असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के संवर्ग का कोई पदाधिकारी यदि सेवा के तीन वर्ष पूरा होने के पूर्व सेवा छोड़ देता है या सेवा त्याग देता है तो उसे तीन माह पूर्व इसकी सूचना देनी होगी अथवा उसके बदले तीन माह के वेतनादि के समतुल्य नकद राशि जमा करनी होगी।"


6. प्रत्येक अभ्यर्थी को फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है। फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र प्रस्तुत न किये जाने पर योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
7. नियुक्ति पत्र में अंकित सभी नवनियुक्त परीक्ष्यमान न्यायिक पदाधिकारी की सेवायें माननीय उच्च न्यायालय, पटना को पदस्थापन हेतु सौंपी जाती है।
8. योगदान किये जाने हेतु उन्हें कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

  
(गुफरान अहमद)

सरकार के उप सचिव।


ज्ञापांक-7 / स्था0-04-18 / 2019सा0प्र0 ..... 2133 ..... / पटना-15, दिनांक 10.02.2020  
प्रतिलिपि-प्रभारी पदाधिकारी, ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में)  
सी0डी0 सहित बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।



सरकार के उप सचिव।


ज्ञापांक-7 / स्था0-04-18 / 2019सा0प्र0 ..... 2133 ..... / पटना-15, दिनांक 10.02.2020  
प्रतिलिपि:-महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि पदभार ग्रहण करने के पूर्व संबंधित असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) की उम्र, शैक्षणिक योग्यता, जाति, आवासीय आदि से संबंधित प्रमाण-पत्रों की जाँच कर संतुष्ट हो लिया जाय। किसी तरह की विसंगति पाये जाने की स्थिति में विभाग को तुरन्त अवगत कराया जाय ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके।



सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-7 / स्था0-04-18 / 2019सा0प्र0 ..... 2133 ..... / पटना-15, दिनांक 10.02.2020  
प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/सचिव, बिहार, लोक सेवा आयोग, पटना/महाधिवक्ता, बिहार, पटना/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना तथा आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-7 / स्था0-04-18 / 2019सा0प्र0 ..... 2133 ..... / पटना-15, दिनांक ..... 10.02.2020

सभी नवनियुक्त असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) को उनके अभिप्रमाणित फोटोग्राफ के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

ड पोस्ट  
संबंधित


श्री / श्रीमती .....

पिता / पति का नाम .....

ग्राम / मो0 .....

पो0 ..... जिला .....

2. उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे शैक्षणिक योग्यता, जाति एवं आवासीय से संबंधित मूल प्रमाण पत्र एवं स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ अपना योगदान समर्पित करें।

  
10/2/2020  
सरकार के उप सचिव।

